डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
मंत्री
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश.

मंत्रालय कक्ष क्रमांक - 543
दूरभाष { 0755-2441438 (मंत्रालय)
0755-2661299, 2661370 (नि.)
(फैक्स)
ई-मेल : minagri@mp.gov.in
निवास : बी-3, श्यामला हिल्स,
भोपाल (म.प्र.) 462002

पत्र क्रमांक ...3910.....
भोपाल, दिनांक ..21/11/2011

आदरणीय श्री देशमुख जी,

मैं आपका ध्यान संसद में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित "भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नियमक प्राधिकरण विधेयक की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। पूर्व में भी समय–समय पर इस संबंध में मेरे द्वारा भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया हैं। इस विधेयक के प्रस्तावित कुछ मूलभूत मसलों को लेकर चिंता है जो निम्नवत हैं :–

1. कृषि एवं स्वास्थ्य पर राज्य सरकारों की संवैधानिक भूमिका और अधिकार है। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नियमक प्राधिकरण विधेयक 2011 में इसे नकारने की कोशिश की गई है जो कि अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण में महज राज्य सरकारों की भूमिका और प्रतिनिधित्व ही नहीं होना बल्कि अपने क्षेत्र के लिए खुद निर्णय करने के उनके संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

2. ऐसे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं जिससे स्पष्ट हैं कि जीन परिवर्धन, एक जोखिम भरी और खतरनाक प्रौद्योगिकी है। इससे संबंधित अध्ययन, महत्वपूर्ण शारीरिक अवयवों – गुर्दे और लीवर को नुकसान होने का खुलासा करते हैं। जीन रूपान्तरित जीवों (जीएमओ) के उपयोग से जैव विविधता को खतरा, कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास, नये कीटों और बीमारियों का उभरना, और इसके सम्पर्क से संक्रमण एवं जीन हस्तान्तरण के कारण कई प्रकार के दुष्प्रभाव होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही हैं।

3. कृषक जी.एम.ओ. बीजों के आदी होगे व धीरे–धीरे भारत की कृषि, निजी कम्पनियों पर पूर्णतः निर्भर हो जायेगी, जिससे हमारी अर्थ–व्यवस्था प्रभावित होगी तथा किसानों की आत्म–निर्भरता खत्म हो जायेगी।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय कृषि में जीएमओ फसलों के उपयोग की आवश्यकता नहीं हैं अतः प्रस्तावित बायोटेक रेग्यूलेटरी एक्ट **(BRAI)** व प्रदेश में प्रस्तावित जी.एम.ओ. फसलों के फील्ड ट्रायल्स के विरूद्ध मध्यप्रदेश सरकार आपत्ति दर्ज करती हैं।

सादर,

भवदीय

(डॉ.रामकष्ण कुसमरिया)

मान. श्री विलासराव देशमुख जी,
मंत्री,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
भारत सरकार, नई दिल्ली।